लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 45 / 2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 18.04.2019

श्री कुलदीप पिता किशन लाल बैरवा गॉव व पोस्ट जलियां, तहसील निम्बाहेड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 10.05.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.03.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 45 / 2019 / (10.05) / 189 दिनांक 18.04.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को दिनांक 10.05.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 10.05.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तोडगढ (राज.)

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2019/300 दिनांक 25.04.2019 से से कमेंट्स प्रेषित जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि लार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 3.03.2019 को रजिस्टर्ड ए. डी. से प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 1 03.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि बिन्दु संख्या 2 में अपीलार्थी ने विर्णय किया कि उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत 30 दिन की अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी नकल नहीं मिली। यह तथ्य गलत है क्योंकि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/सू.अ./2019/283 दिनांक 11.04.2019 से अपीलार्थी के आवेदन अनुसार जरिये रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित की गई जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
3. बिन्दु संख्या 3 में अपीलार्थी ने वर्णित किया कि बी. पी. एल. परिवार का सदस्य होते हुए भी उसे नकल उपलब्ध नहीं कराई गई। यह तथ्य भी गलत है क्योंकि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में अपना डाक पता अंकित करते हुए ड़ाक पते पर सूचना चाही गई जिससे इस कार्यालय द्वारा जरिये डाक से दिनांक 11.04.2019 को ही सूचना भिजवा दी गई थी।
4. इस प्रकार अपीलार्थी बी. पी. एल. परिवार का सदस्य होने से नियमानुसार निःशुल्क सूचना निर्धारित समयावधि में चार दिवस पूर्व ही दिनांक 11.04.2019 को जरिये ड़ाक प्रेषित की जा चुकी है। प्रार्थी जब भी चाहे सूचना कार्यालय समय में प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी ने आधारहीन एवं तथ्यहीन अपील पेश की है। अतः अपील निरस्त करने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/सू.अ./2019/300 दिनांक 25.04.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

A11

अपने पत्रांक/सू.अ./2019/283 दिनांक 11.04.2019 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित दोनो बिन्दुओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अपीलार्थी के सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.03.2019 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से जो सूचनाऐं चाही जा रही है वह समस्त सूचनाऐं प्रश्नात्मक है तथा उसका अपीलार्थी से व्यक्तिगत तौर पर कोई संबंध नहीं है तथा न ही उक्त सूचना के प्रकटन में कोई लोक हित निहित है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार किसी लोक क्रियाकलाप तथा लोक हित में कोई संबंध निहित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.))

Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./45/2019(सू.अ.)/203 दिनांकः– 10/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
2. श्री कुलदीप पिता किशन लाल बैरवा गांव व पोस्ट जलियां, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)